Narmada Valley Development Authority
Narmada Bhawan, 59 Arera Hills, Bhopal-462 011

E-mail : memengg@mp.nic.in ☎ : Office : 0755-2677509, Fax : 0755 - 2677508

Letter No. /NVDA/M(Engg)/G/07 Bhopal dated / /08

Subject:- Appointment of State Level Quality Monitor for quality and progress or the construction work under Narmada Valley Development Authority.

Narmada Valley Development Authority has been constituted by the Government of Madhya Pradesh for execution of project for utilization of Narmada water as per NWDTA. The Authority has five project implementation Units all over the Narmada Valley headed by a Chief Engineer. For supervision and quality control of road construction, NVDA has engaged qualified and renowned consultants.

The Authority intends to empanel independent state quality monitors for inspection of all the works being executed under NVDA in various projects. The independent quality monitor will be required to visit the ongoing works, as per programme given by the Authority and submit their report relating to the quality of works inspected. The quality monitors will be entitled to TA/DA, which was admissible to them before their retirement and honorarium as per NVDA rules.

Chief Engineers/Superintending Engineers retired from any Govt. deptt./undertaking & MES etc. based in M.P. and who have adequate experience of construction of Dams,Canals and other structures and also interested to work as independent quality monitor may submit their willingness in the prescribed format (available on our website www.nvda.nic.in) addressed to the Member (Engg.),Narmda Valley Development Authority, 59 Arera Hills, Narmada Bhawan, Jail Road, Bhopal- 462004. so as to reach not later than 10.04.2008.

Officers giving willingness should clearly understand that they will have to proceed on tour for inspection in any part of the State as and when required. The frequency of such tours may be once or twice in a month.

Willing senior engineers may be required to undergo a short interview.

(V.K. Bhatia)
Member (Engineering) N.V.D.A.,
Narmada Bhawan, Bhopal

Format of application for State Quality Monitor

1. Name of the Officer :
2. Present address :
3. Date of Birth :
4. Qualification :
5. Date of entry in Govt. service & post :
6. Qualification and Post held at the time of retirement :
7. State & Department :
8. Date of Retirement :
9. Telephone No. :
10. Mobile No. :
11. Details of experience (in the format given below) :

EXPERIENCE RECORD

Name of Deptt.	Post Held	Task Assigned	Duration	Specify Type of works executed during this period

12. Name of the District where Officer will prefer to work : Upper Narmada Zone

	Name of Project	Districts Covered	Willingne
1	RABLS	Jabalpur, Narsinghpur	
2	Bargi Diversion	Jabalpur, Katni, Satna, Rewa	
3	Indira Sagr	Khandwa, Khargone, Barwani	
4	Omkareshwar	Khargone, Dhar, Jhabua	
5	Electrical & mechanical Works in NVDA	All districts of Narmada Valley	

13. Name of the any three (Administrative or Engineering) Senior under lwhom the officer worked.
14. Any other information relevant with major works. :

SIGNATAURE OF THE APLICANT

Narmada Valley Development Authority
Narmada Bhawan, 59 Arera Hills, Bhopal-462 011

E-mail : memengg@mp.nic.in ☎ : Office : 0755-2677509, Fax : 0755 - 2677508

Sub. :- Appointment of State Level Quality Monitor for quality and progress or the construction work under Narmada Valley Development Authority.

--- * ---

Terms and conditions of appointment of State Quality Monitors in Narmada Valley Dev. Authority are as under :-

1. Depending upon the requirement, their services will be utilized for inspection of the work and to submit the inspection report accordingly. During the inspection period, they will be paid Rs.1250/- per day as remuneration. The remuneration period will be calculated from the beginning of the journey to the end of the journey. In addition to this, T.A. will be paid as per the rules.
2. Their class of journey in Aeroplane/Train/Road for inspection will be calculated according to the class of journey availed at the time of their retirement. If own vehicle is used for the journey, they will be paid 10% less than Rs.4.50 per Km. as per the rate of M.P. Tourism Department for non A.C. Diesel Ambassador can rate of Rs.4.05 per Km.
3. Hotel charges (maximum Rs.500/- per day) will be paid according to the Memo No.184/377/88/F-1/4 dated 22.04.88 of M.P. Finance Department.
4. The D.A. will be calculated as per rate they were eligible at the time of retirement.

While submitting report, the Quality Monitor should ensure to include the suggestions for improvement of work.

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

नर्मदा भवन, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011

ई–मेल : **memengg@mp.nic.in** दूरभाष : कार्या : 0755–2677509, फेक्स : 0755 – 2677508

क्रमांक /सदस्य/अभि/न.घा.वि.प्रा./ दिनांक / /200

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–23,
नर्मदा भवन, भोपाल

विषय :– स्टेट क्वालिटी मॉनीटर की नियुक्ति हेतु सूचना प्रकाशन बाबत् ।

––– * –––

कृपया संलग्न सूचना का समाचार पत्रों में एक बार प्रकाशित करने हेतु आवश्यक सूचना संलग्न है ।

(व्ही.के. भाटिया)
सदस्य (अभियांत्रिकी)
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल

स्टेट क्वालिटी मॉनीटर

के लिए

मार्गदर्शी दिशा–निर्देश

स्टेट क्वालिटी मॉनिटर की भूमिका :-

स्टेट क्वालिटी मॉनिटर को वरिष्ठ नागरिक होने के कारण कार्यो एवं शासकीय सेवा का मूल्यवान अनुभव होता है । उन्हें अपने कार्य व्यवहार मैदानी अधिकारियों, शासन एवं आम जनता को उच्च स्तर का उदाहरण पेश करना चाहिए । वास्तव में उन्हें यह समझ होनी चाहिए कि वे शासन की ऑख एवं कान है । उनका ज्ञान एवं अनुभव बहुमूल्य साबित होना चाहिए । स्टेट क्वालिटी मॉनिटर की नियुक्ति इस बात को ध्यान में रखकर की गई है कि उनके मार्गदर्शन से शासाकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो ताकि अंतिम परिणाम ग्रामीण जनता के लिए उपयोगी हो सके । स्टेट क्वालिटी मॉनिटर का कार्य मुख्यत: निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं प्रगति के साथ-साथ सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव देना है । स्टेट क्वालिटी मॉनिटर का उद्‌देश्य केवल गल्तियॉ ढूंढने, मैदानी अधिकारियों को हतोत्साहित अथवा उन्हें गलत सिद्व करने के लिए नहीं होना चाहिए ।

स्टेट क्वालिटी मॉनिटर निगरानी के दायरे में :-

इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि स्टेट क्वालिटी मॉनिटर हर समय निगाह रखी जा रही है । मीडिया की ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपस्थिति एवं सुचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से शासन की दिन प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आने के कारण शासकीय सेवक,यहॉ तक की सेवानिवृत्ति के पश्चात भी, की प्रत्येक क्रियाकलाप को नहीं दिशा मिली है । राज्य के आमजन एवं जनता के प्रतिनिधि उत्सुकतापूर्वक स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के कार्यो एवं व्यवहार पर निगाह रखते हैं । मैदानी अधिकारी, पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधी एवं यहॉ तक सामान्य जन स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के कार्य एवं व्यवहार के बारे में सूचनाएं देते हैं, हाल ही में शासन को कुछ स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के खिलाफ गंभीर शिकायतें तथा अधिकारियों से अनुचित मांग करने के कारण उन्हें स्टेट क्वालिटी मॉनिटर की सूची से पृथक करना पड़ा ।

यह भी देखा गया है कि कुछ स्टेट क्वालिटी मॉनिटर में अपने निरीक्षण को नेशनल पार्क तथा सेन्च्यूरिज अथवा ऐतिहासिक स्थानो को देखने की प्रवृत्ति पायी गई । इसे गंभीरता से लिया गया है । स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स को यह नहीं भूलना चाहिये कि उन्हें सेवानिवृत्त सेवा की हैसियत से मैदानी युवा अधिकारियों के समक्ष कार्य के प्रति गंभीरता का उत्कृष्ठ उदाहारण प्रस्तुत करना है ।

स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के दायित्व :-

1. स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स का प्राथमिक दायित्व है कि वे अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप पूर्ण, अपूर्ण एवं निर्माणाधीन कार्यो का निरीक्षण कर, सुधार हेतु सुझाव प्रदान करें । उन्हे कार्य की प्रगति के संबंध में भी अपनी राय देना चाहिए ।
2. कार्य क्षेत्र से वापिस आने के पश्चात 3 दिन के भीतर अपनी निरीक्षण टीप एवं प्रतिवेदन संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित करेंगे कार्यक्रम अधिकारी प्रतिवेदन का अवलोकन करेंगे एवं मुख्य अभियंता से आवश्यकता होने पर 15 दिवस के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्राप्त करेंगे ।
3. स्टेट क्वालिटी मॉनिटर प्रत्येक माह एक मुख्य अभियंता के कार्यक्षेत्र के 3 अनुबंधो के कार्यो मे अधितम तीन दिवस का दौरा करेंगे । वे प्रत्येक अनुबंधो के तहत कम से कम 7 कार्यो (3 पूर्ण + 4 अपूर्ण कार्य) का निरीक्षण करेंगे ।

4. पूर्ण कार्यो की गुणवत्ता का आॅकलन करना चाहिये ।
5. स्टेट क्वालिटी मॉनिटर का प्रतिमाह का दौरा कार्यक्रम संबंधित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित होगा ।
6. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने वाले कार्यो का चयन किया जावेगा तथा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि किसी कार्य का दोवारा निरीक्षण उसी वर्ष स्टेट क्वालिटी मॉनिटर द्वारा न किया जावे ।
7. कार्यो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता पंचायतो मे सृजित रोजगार मानव दिवस की जानकारी भी लेना चाहिए ।
8. स्टेट क्वालिटी मॉनिटर को अन्य बातों की अपेक्षा, अपना ध्यान मात्र कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी हेतु सुझाव पर केन्द्रित रखना चाहिए । निरीक्षण मे पाये गये तथ्यों के लिये स्टेट क्वालिटी मॉनिटर जबावदेह होंगे । सतही स्तर का किया गया निरीक्षण मान्य नहीं होगा ।
9. कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर स्टेट क्वालिटी मॉनिटर द्वारा शिकायत से संबंधित कार्यो का निरीक्षण किया जा सकता है ।
10. निरीक्षण पश्चात कार्यो की गुणवत्ता के अनुसार ग्रेडिंग 1 से 10 के पैमाने पर की जानी होगी । कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर स्टेट क्वालिटी मॉनिटर द्वारा कार्य की गुणवत्ता मे सुधार हेतु आवश्यक मार्गदर्शन लिया जावेगा, जिसमें स्तरहीन निर्माण सामाग्री बदलने एवं क्रियान्वयन की सही तकनीक का उपयोग, शामिल होगा । 1 से 10 स्केल के मानक का निर्धारण संबंधित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
11. स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के भ्रमण के समय कार्यस्थल पर ले जाने हेतु योजना के मुख्य अभियंता कार्य से संबंधित किसी एक अधिकारी को साथ भेजेंगे ।

यात्रा एवं पात्रता :-

1. रेल एवं बस की द्वितीय श्रेंणी वातानुकूलित एवं निचली श्रेंणियों में तथा हवाई यात्रा मे एक्नामी क्लास (यदि सेवानिवृत्त की समय पात्रता हो) में अपने निवास स्थान से भ्रमण के जिले तक यात्रा करना अनुज्ञय है ।
2. पारिश्रमिक भत्ता रूपये 1200/-प्रतिदिन के मान से देय होगा । अवधि निवास स्थान से यात्रा प्रारम्भ करने से लेकर समाप्त करने के समय तक मानी जावेगी। टी.ए./डी.ए. नियमानुसार देय होंगे ।
3. होटल में ठहरना अनुज्ञय नहीं होगा । जिला प्रशासन द्वारा शासकीय विश्राम भवन/विश्राम गृह में ठहरने की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जावेगी।
4. भोजन आदि पर समस्त व्यय आपके द्वारा वहन किया जावेगा ।
5. मुख्य अभियंता द्वारा उपलब्ध करयें गये वाहन से जिले के अंदर भ्रमण किया जावेगा । आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिले की सीमा से बाहर वाहन नहीं ले जायेंगे ।

क्या करें :-

1. यह सुनिश्चित किया जावे कि कार्य क्षेत्र में आपके भ्रमण कार्यक्रम का समुचित प्रचार प्रसार हो ।
2. परियोजना मुख्यालय तक पहुँचने की व्यवस्था आपके द्वारा स्वयं की जावेंगी ।भ्रमण हेतु वाहन की व्यवस्था मुख्य अभियंता द्वारा की जावेंगी ।
3. परियोजना क्षेत्र में पहुचने के उपरांत मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री को अपने अगमन की सूचना दी जावेगी ।
4. शासकीय विश्राम भवन/विश्राम गृह में रूकने पर जोर दिया जावे ।
5. स्थानीय अधिकारियों से कार्य की उपयोगिता,गुणवत्ता एवं सार्थकता के संबंध में चर्चा की जावे ।
6. पूर्ण कराये गये एवं निर्माणाधीन कार्यो की सूची प्राप्त कर स्वतंत्र रूप से निरीक्षण हेतु कार्यो का चयन किया जावे ।
7. निरीक्षण उपरांत बंद लिफाफे में अपना प्रतिवेदन कार्यक्रम अधिकारी को भेजा जावे।
8. निरीक्षण प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होना चाहिये कि अच्छे स्तर के कार्य एवं स्तरहीन कार्य के संबंध में विभेद करने की आपके अंदर कितनी योग्यता एवं क्षमता है ।
9. आपका दृष्टिकोण सही, सीधा एवं गैर समझौतावादी होना चाहिये ।
10. यह स्मरण रहना चाहिये कि आपकी भूमि का पथ प्रर्दशक की है न की त्रुटियां निकालने वाले की । आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने सुदीर्घ, बहुमूल्य एवं सकारात्मक अनुभव से कार्य की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देगें ।

क्या न करें :-

1. यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्यो के पर्यवेक्षण के दौरान आप अपना निजी वाहन उपयोग न करें और न ही उस पर किसी प्रकार की बत्ती न लगायें ।
2. मुख्य अभियंता से किसी वाहन विशेष की मांग न करें ।
3. अधिकारियों से ठहरने की व्यवस्था, वाहन अथवा किसी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा की अनुचित मांग न करें ।
4. यदि किसी निर्माण कार्य के संबंध में कुल तथ्य शासन के ध्यान में लाने योग्य हो तो तत्काल ऐसा करना चाहिये । आप अपने निरीक्षण टीप प्रस्तुत करने में विचलन न करें ।
5. निरीक्षण के पश्चात परियोजना क्षेत्र छोड़ने से पूर्व आपके द्वारा किये गये समस्त व्यय का भुगतान स्वत: किया जावे । किसी भी परिस्थिति में भुगतान का दायित्व अधिकारियों के ऊपर न छोड़ा जावे ।
6. परियोजना के भ्रमण के समय अपने परिवार को साथ न ले जावे ।